सच्चाई के दम पर जोश के साथ...
प्रधान संपादकः रतन प्रकाश सिंह
www.swarajindianews.com
swarajindianews swarajindianews
दैनिक सांध्यकालीन
स्वराज इंडिया
कानपुर, बुधवार, 24 सितम्बर, 2025
वर्षः 02, अंकः 251, पृष्ठः 8+4, मूल्यः ₹ 2/-

इनसाइड बिल्हौर: दिन मे रेकी और रात को वारदात... » Pg04

» Pg12 तिहाड़ से नहीं हटेंगी आतंकी भट्ट और अफजल की कब्र

डर्टी बाबा चैतन्यानंद की पाप कथा का खुलासा

शारदा इंस्टीट्यूट के स्वामी पर यौन शोषण के आरोप

ईडब्ल्यूएस स्कॉलरशिप वाली छात्राओं को बनाया निशाना, एफआईआर दर्ज

32 छात्राओं के बयान दर्ज, 17 ने लगाए अश्लील हरकतों के आरोप, कार बरामद, आरोपी फरार

» वरिष्ठ संवाददाता, स्वराज इंडिया ब्यूरो।

नई दिल्ली। दिल्ली के एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में 17 लड़कियों के साथ अश्लील हरकतों की चौंकाने वाली घटना सामने आई है। श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट की छात्राओं ने चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। संस्थान के प्रशासक पीए मुरली की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया है। यह संस्थान शारदापीठ श्रृंगेरी से जुड़ा हुआ है।

पीए मुरली की ओर से वसंत कुंज नॉर्थ थाने में दर्ज कराई गई शिकायत में कहा गया है कि श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) की छात्राओं के साथ स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ डॉ. स्वामी पार्थसारथी ने यौन उत्पीड़न किया। पीड़ित छात्राएं ईडब्ल्यूएस स्कॉलरशिप के तहत पीजीडीएम (पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट) कोर्स कर रही हैं।

पुलिस ने 32 छात्राओं के बयान दर्ज किए गए, जिनमें से 17 ने आरोप लगाया कि आरोपी ने उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया, अश्लील वॉट्सऐप मैसेज भेजते थे और अवांछित शारीरिक संपर्क बनाते थे। पीड़िताओं ने यह भी बताया कि संस्थान की कुछ महिला फैकल्टी और प्रशासनिक कर्मचारी उन्हें आरोपी की मांगों को मानने के लिए दबाव डालती थीं।

शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने बीएनएस की धारा 75(2), 79, 351(2) के तहत मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई, घटनास्थल और आरोपी के पते पर छापे मारे गए, लेकिन आरोपी अब तक फरार है। पुलिस ने संस्थान के बेसमेंट में खड़ी एक वोल्वो कार जब्त की, जिस पर फर्जी डिप्लोमैटिक नंबर प्लेट (39-यूएन-1) लगी थी और जिसे आरोपी इस्तेमाल करता था। इस संबंध में 25 अगस्त 2025 को नया मामला दर्ज किया गया और कार जब्त कर ली गई। पुलिस ने संस्थान से सीसीटीवी फुटेज जब्त करके फॉरेंसिक जांच के लिए भेजी है। 16 पीड़िताओं के बयान न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराए गए हैं। पुलिस के अनुसार, आरोपी की आखिरी लोकेशन आगरा के पास पाई गई थी और उसकी तलाश जारी है।

» महिला फैकल्टी पर भी संगीन आरोपए आरोपी का साथ देने का दबाव।

» फर्जी डिप्लोमैटिक नंबर प्लेट वाली कार से चलता था आरोपी।

» सीसीटीवी फुटेज फॉरेंसिक जांच के लिए भेजी, आरोपों की पुलिस कर रही जांच।

फर्जी डिप्लोमैटिक यूनाइटेड नेशन की नंबर प्लेटवाली वोल्वो कार का इस्तेमाल कर रहा था आरोपी बाबा।

आरोपी बाबा का फाइल फोटो

छात्राओं के बयान दर्ज: डीसीपी

डीसीपी (साउथ-वेस्ट) दिल्ली अमित गोयल ने मीडिया को बताया कि पूछताछ के दौरान 32 छात्राओं के बयान दर्ज किए गए। इनमें से 17 ने आरोपी द्वारा गाली-गलौज, अश्लील व्हाट्सएप-एसएमएस और शारीरिक संपर्क का आरोप लगाया। यह भी आरोप लगाया कि फैकल्टी और एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर काम करने वाली महिलाओं ने उन्हें चैतन्यानंद की मांगें मानने के लिए उकसाया और दबाव डाला। चैतन्यानंद एक फर्जी डिप्लोमैटिक यूनाइटेड नेशन की नंबर प्लेटवाली लाल वोल्वो कार का इस्तेमाल कर रहा था। उक्त कार आरोपी बाबा स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती द्वारा इस्तेमाल की जाती है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि चैतन्यानंद का आखिरी ठिकाना आगरा में था, लेकिन दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कई छापों के बावजूद उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है।

कौन है पापी बाबा चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी?

चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थसारथी, श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट का प्रबंधक है। यह संस्थान ढ्ढष्टञ्जश्व से मान्यता प्राप्त है और यह संस्था शृंगेरी पीठके अधीन चल रही है, जिसका प्रबंधक स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती को नियुक्त किया गया था. स्नढ्ढक्रहोते ही आश्रम प्रशासन ने फौरन पद से हटा दिया है।

किसने दर्ज कराई शिकायत?

चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ यह शिकायत सबसे पहले 4 अगस्त, 2025 को श्री श्रृंगेरी मठ और इसकी संपत्तियों के प्रशासक, पी.ए. मुरली ने दर्ज कराई थी। दिल्ली पुलिस ने बताया, सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया गया और आरोपी के घर के साथ-साथ घटना स्थल पर भी कई छापे मारे गए। श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट एंड रिसर्च से मिली हार्ड डिस्क को फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेजा गया है। पटियाला हाउस कोर्ट में 16 पीड़ितों के बयान भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 183 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किए गए हैं। इन आरोपों के बाद, आश्रम ने एक बयान में कहा, स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती के अवैध और अनुचित गतिविधियों में लिप्त होने के चलते पीठासीन ने उससे सभी संबंध तोड़ लिए हैं, इसके लिए गए अवैध कार्यों के संबंध में संबंधित अधिकारियों के पास शिकायतें भी दर्ज कराई हैं। शिकायत करने वाली लड़कियां श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट में ईडब्ल्यूएस स्कॉलरशिप पर पोस्ट-ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट (पीजीडीएम) कोर्स कर रही थीं, जहां आरोपी निदेशक के रूप में काम करता था।

आई लव मोहम्मद विवाद: कानपुर से उठी चिंगारी, देशभर में बढ़ा बवाल

» सपा विधायकों ने पुलिस आयुक्त से मुलाकात, निर्दोषों को फंसाने का लगाया आरोप

» जुलूस और पथराव से बिगड़ा माहौल, प्रशासन की भूमिका पर उठे सवाल

» पुलिस आयुक्त बोले बैनर पर कोई मुकदमा नहीं, गलत संदेश फैलाया जा रहा है

» प्रमुख संवाददाता-स्वराज इंडिया

कानपुर। रावतपुर स्थित सैयद नगर में लगे आई लव मोहम्मद बैनर को लेकर शुरू हुआ विवाद अब राज्य की राजनीति में बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। मंगलवार को सपा विधायक हसन रूमी, अमिताभ बाजपेयी और नसीम सोलंकी पुलिस आयुक्त अखिल कुमार से मिले। विधायकों ने कहा कि इस विवाद को अनावश्यक रूप से तूल दिया जा रहा है और झूठे तथ्यों के आधार पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं।विधायक हसन रूमी ने कहा कि एफआईआर में आई लव मोहम्मद का जिक्र न तो आधार है और न ही इस पर कोई आपत्ति जताई गई है।

मुकदमा केवल बिना अनुमति गेट निर्माण और जुलूस के दौरान हुए विवाद पर दर्ज किया गया था। लेकिन इसे तोड़-मरोड़कर समाज में गलत संदेश दिया जा रहा है। उन्होंने साफ कहा कि निर्दोष लोगों को फंसाना बंद होना चाहिए और मुकदमा समाप्त किया जाना चाहिए,

ताकि समाज में शांति बनी रहे ।वहीं विधायक अमिताभ बाजपेयी ने कहा कि कुछ पेशेवर बवाली हर मौके पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। चाहे वह बारावफात हो या फिर दीपावली, ऐसे लोग विवाद और उन्माद फैलाने का काम करते हैं।

विधायक नसीम सोलंकी ने भी कहा कि पुलिस की शुरुआती भ्रांति और प्रशासनिक ढिलाई ने इस विवाद को जन्म दिया। उन्होंने मांग की कि मुकदमा वापस लिया जाए और माहौल को शांत किया जाए।

जुलूस और पथराव से बढ़ा तनाव, अन्य जिलों में भी असर

कानपुर में शुरू हुआ विवाद धीरे-धीरे आसपास के जिलों तक फैलने लगा।

शुक्लागंज में पुलिस द्वारा जुलूस रोकने पर पथराव हो गया, जिससे स्थिति तनावपूर्ण बन गई।

वहीं जालौन जिले के कालपी में भी आई लव मोहम्मद लिखे होर्डिंग रातोंरात लगाए गए, जिन्हें प्रशासन ने तुरंत हटवा दिया और पुलिस बल तैनात कर दिया ।इधर, कानपुर में अखिल भारतीय सर्वधर्म सभा ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह को सौंपा और मांग की कि इस पूरे मामले की जांच सेवानिवृत्त जज से कराई जाए। सर्वधर्म महासभा का कहना है कि विवाद को जानबूझकर भड़काया जा रहा है और इससे समाज में गलत संदेश जा रहा है।

ऑल इंडिया सुन्नी उलमा काउंसिल और शहर काजी मौलाना मुश्ताक अहमद मुशाहिदी ने भी अपील की कि सड़क पर विरोध प्रदर्शन न करें और कानून के दायरे में रहते हुए अपनी बात रखें। उनका कहना है कि ऐसे प्रदर्शनों से समाज में तनाव बढ़ता है और प्रशासन पर अनावश्यक दबाव बनता है।

सर्वधर्म महासभा के पदाधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल संयुक्त पुलिस आयुक्त आशुतोष कुमार से भी मिला। प्रतिनिधिमंडल में महबूब आलम खान, डॉ. निसार अहमद सिद्दीकी, इस्लाम खान आज़ाद, राजेश मिश्रा, सरदार राजेंद्र सिंह और कुलदीप बाबा मसीह शामिल थे।

उन्होंने मांग की कि किसी निर्दोष को फंसाया न जाए और पूरी जांच निष्पक्ष ढंग से की जाए।

संयुक्त पुलिस आयुक्त का बयान: बैनर पर मुकदमा ही नहीं

संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून-व्यवस्था) आशुतोष कुमार ने इस विवाद पर साफ-साफ कहा कि आई लव मोहम्मद बैनर को लेकर कोई मुकदमा दर्ज ही नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि चार सितंबर को बारावफात जुलूस के दौरान बिना अनुमति गेट लगाए जाने पर एफआईआर दर्ज की गई थी। उसी गेट पर बैनर भी लगा था, लेकिन एफआईआर का इससे कोई लेना-देना नहीं था। संयुक्त पुलिस आयुक्त ने कहा कि यह गलत संदेश फैलाया जा रहा है कि आई लव मोहम्मद पर मुकदमा दर्ज किया गया है। वास्तविकता यह है कि एफआईआर केवल परंपरा से हटकर गेट लगाने और बाद में हुए विवाद को लेकर हुई। उन्होंने भरोसा दिलाया कि निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी ।उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को परेशान नहीं किया जाएगा। एफआईआर में केवल वादी द्वारा उल्लेख किया गया था, लेकिन उसका मामला से सीधा संबंध नहीं है। जल्द ही इस भ्रम की स्थिति को समाप्त कर दिया जाएगा।

कानपुर में गणमान्य नागरिकों को मिला श्री बांके बिहारी सम्मान

» प्रमुख संवाददाता-स्वराज इंडिया

कानपुर। समाजसेवा और जनहित के कार्यों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले शहर के गणमान्य नागरिकों और विभूतियों को प्रतिष्ठित श्री बांके बिहारी सम्मान से सम्मानित किया गया। यह भव्य सम्मान समारोह मालवीय पार्क में आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु और गणमान्य लोग शामिल हुए।

कार्यक्रम का आयोजन श्रीराम सेवा समिति, ब्राह्मण अंतरराष्ट्रीय संगठन और कानपुर उद्योग व्यापार मंडल के संयुक्त तत्वावधान में अध्यक्ष मनोज बाजपेई के नेतृत्व तथा वृंदावन-मथुरा के सुप्रसिद्ध कथा वाचक पंडित दीपक कृष्ण शास्त्री की मौजूदगी में हुआ।

समारोह के दौरान पूर्व सांसद सत्य देव पचौरी, एमएलसी सलिल बिश्नोई, वरिष्ठ समाजसेवी सुरेश अवस्थी, संजीव दीक्षित और अनिल मिश्रा समेत कई महानुभावों को श्री बांके बिहारी सम्मान से अलंकृत किया गया।

इस अवसर पर मुख्य रूप से जुगल किशोर बाजपेई, विपिन दीक्षित, दिनेश तिवारी, खूबचंद गुप्ता, दिव्यांशु वर्मा, सोनम वाल्मीकि, उज्जवल गुप्ता, राहुल पांडे, सानू गुप्ता, प्रेम मिश्रा, पवन गुप्ता, कानपुर उद्योग व्यापार मंडल के महामंत्री कृपा शंकर त्रिवेदी, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष विनोद शुक्ला, पार्षद आदर्श गुप्ता, रजत बाजपेई, अशोक शुक्ल, नितिन सिंह, सुनील सिंह, जितेंद्र, प्रकाश दीक्षित और शेषकमल शुक्ला आदि गणमान्य जन भी उपस्थित रहे।

(सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन्स का उल्लघंन)

नगर निगम पार्क बना व्यवसायिक कार्यक्रमों का अड्डा !

» जोन-5 के वार्ड 57 के अंतर्गत पनकी स्थित नगर निगम पार्क में डांडियां पार्टी के लिए की गई बुकिंग

» 25 सितंबर के आयोजन के लिए आयोजक वसूल रहे लाखों रूपए

पनकी स्थित नगर निगम पार्क

» प्रमुख संवाददाता, स्वराज इंडिया

कानपुर।देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट का सार्वजनिक पार्कों को लेकर स्पष्ट गाइड लाइन है कि उनका इस्तेमाल पार्टी आयोजनों के लिए नहीं किया जा सकता है लेकिन इसके बाद भी कानपुर में नगर निगम के कई पार्कों का इस्तेमाल आयोजनों के लिए धड़ल्ले से किया जा रहा है। ताजा मामला

जोन-5 के वार्ड 57 के अंतर्गत पनकी बी ब्लाक स्थित नगर निगम का पार्क का सामने आया है। यहां पर 25 सितंबर को डांडियां के आयोजन को पोस्टर जारी किया गया है और इंट्री पास भी बेंचे जा रहे हैं।

इससे कोर्ट की गाइड लाइंस का खुला उल्लघंन किया जा रहा है। मामले की शिकायत नगर निगम के उच्चाधिकारियों तक पहुंची है।आयोजकों में सोमेंद्र दुबे से ''स्वराज इंडिया संवाददाता'' ने मोबाइल फोन से संपर्क किया तो उन्होने बताया कि श्रीराम स्कूल के पीछे स्थित पार्क में आयोजन किया जाएगा। इसके लिए 150 रूपए प्रति व्यक्ति पास, फैमिली पास 5 सौ रूपए का है इसमें 4 लोगों की इंट्री हो सकेगी। पूरे कार्यक्रम में साढे 3 सौ अधिक लोगों को प्रवेश दिया जाएगा। शाम 6 बजे से देर राततक तक रंगारंग कार्यक्रम आयोजित होंगे। वहीं, नगर निगम के पार्क में पार्टी आयोजन की अनुमति को लेकर जब पूछा गया तो सकपका गए, बताया कि नगर निगम ने तो अनुमति नहीं दी है लेकिन मेयर प्रमिला पांडेय से मिलने जा रहे हैं, उसी हिसाब से आगे का कार्यक्रम होगा।

वहीं, आयोजन को लेकर उद्यान अद्यीक्षक कृपाशंकर पांडेय ने कहा कि निगम के पार्क में पार्टी आयोजन नहीं होना चाहिए, प्रकरण की जानकारी की है, वहां पर आयोजन की तैयारी हो रही है, इस संबंध में स्थानीय पुलिस को पत्र भेजेंगे अन्य विभागीय कार्रवाई होगी।

नगर निगम का लोगो लगाए

अवनीश दीक्षित छह माह के लिए कानपुर से जिलाबदर

विकास दुबे के बाद दूसरे नंबर का सबसे बड़ा गैंग

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। पुलिस ने मैरी एंड मैरीमेन स्कूल की 1000 करोड़ की संपत्ति कब्जाने के मामले में मुख्य आरोपी अवनीश दीक्षित समेत चार अपराधियों को जिलाबदर किया है। अवनीश के गैंग को कानपुर का दूसरा सबसे बड़ा गैंग घोषित किया गया है।

कानपुर में सिविल लाइन स्थित मैरी एंड मैरीमेन स्कूल की 1000 करोड़ रुपये की कीमत की नजूल की संपत्ति पर कब्जा करने के मामले में कमिश्नरेट पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मुख्य आरोपी अवनीश दीक्षित को छह महीने के लिए जिलाबदर कर दिया गया है। इसके अलावा, तीन अन्य अपराधियों को भी जिलाबदर किया गया है। बता दें कि 28 जुलाई 2024 को कोतवाली पुलिस ने जमीन कब्जाने के आरोप में गिरफ्तार कर अवनीश दीक्षित को जेल भेज दिया था।

वहीं, तीन जुलाई 2025 को रिहा कर दिया गया था।

मामले में कोतवाली इंस्पेक्टर ने हरेंद्र मसीह व अवनीश दीक्षित, राहुल वर्मा, मौरिस एरियल, कमला एरियल, अभिषेक एरियल, अर्पण एरियल, जीतेश झा, संदीप शुक्ला, विक्की चार्ल्स, अली अब्बास, जितेन्द्र शुक्ला, विवेक पांडेय, मनोज यादव, मो. वसीम, अखलाक अहमद के खिलाफ 3200 पेज की चार्जशीट कोर्ट में लगाई थी। आरोपितों को डकैती और गिरोह बनाकर कब्जा करने समेत धाराओं का आरोपित बनाया था।

तीन और भी कार्रवाई

पुलिस ने अवनीश के गैंग को कानपुर के पहले इंटररेंज गैंग-के रूप में पंजीकृत किया है। इसमें 26 सदस्य हैं। यह वर्तमान में दूसरे नंबर का गैंग है। विकास दुबे के गैंग में 30 सदस्य हैं और वह सबसे बड़ा गैंग है। अवनीश पर नवीन मार्केट स्थित क्रिस्टल पार्किंग पर कब्जा कर अवैध वसूली करने और मारपीट का आरोप लगा था। इसके साथ ही पुलिस ने रेऊना के रूपनगर निवासी वकील को तीन माह के लिए और नौबस्ता ए ब्लॉक निवासी शंकर राइडर वह धारी पुरवा निवासी आयुष गुप्ता को छह माह के लिए जिला बदर किया है।

बोलेरो लोडर से लूट: 170 सीसीटीवी फुटेज खंगालकर पुलिस ने पकड़ा गैंग

दिन मे रेकी, रात को वारदात, भाड़े की आड़ में करते थे चोरी

इलेक्ट्रॉनिक व बाइक स्पेयर पार्ट्स की दुकान में हुई चोरी का खुलासा

» लाखों का माल बरामद, टीम को 20 हजार इनाम।

हिरासत में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले शातिर

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो।

बिल्हौर (कानपुर)। फिल्मों में आपने कई बार ऐसे दृश्य देखे होंगे-दिन में रेकी, रात को ताला तोड़कर चोरी और फिर माल गाड़ी में भरकर रफ़ूचक्कर। कुछ ऐसा ही मामला कानपुर में देखने को मिला। यहां बोलेरो पिकअप लोडर की आड़ में चोरी करने वाले दो शातिर भाइयों को बिल्हौर पुलिस ने धर दबोचा। इनकी करतूतें इतनी संगठित और फिल्मी अंदाज़ में होती थीं कि पहली नज़र में यक़ीन करना मुश्किल था।

दरअसल बीते 15 सितंबर 2025 को थाना बिल्हौर में चोरी का मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसमें वादी ने बताया था कि अज्ञात चोर उसके हाता का ताला तोड़ दुकान के पीछे की दीवार तोड़कर इन्वर्टर, बैटरी, पंखा, प्रेस, बल्ब, ट्यूबलाइट और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान चोरी कर ले गए। दुकान का उद्घाटन भी होना था। इसके अलावा शिवराजपुर क्षेत्र में भी दो मुकदमे पहले से दर्ज थे, जिनमें प्लाई बोर्ड, तार के बंडल और इलेक्ट्रॉनिक कांटा चोरी होने की बात सामने आई थी। इन्हीं मामलों में पुलिस सक्रिय होकर लगातार सुरागरसी में जुटी थी।

बिल्हौर कोतवाल अशोक कुमार सरोज ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त सतीश सिंह उर्फ सतीश और दीपक उर्फ दीपू, दोनों पुत्र रामऔतार निवासी ग्राम रामपुर भीमसेन, थाना सचेण्डी, पेशेवर तरीके से चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। दिन भर ये लोग दुकानों और घरों पर नज़र रखते थे। कौन-सा गेट कमजोर है, कहां से आसानी से अंदर घुसा जा सकता है और किस दुकान में कीमती सामान रखा है-यह सब बारीकी से देख लेते थे। रात ढलते ही बोलेरो पिकअप लेकर निकलते और मेन गेट का ताला तोड़ते या फिर पीछे की दीवार ढहा कर अंदर पहुंच जाते। वारदात के दौरान यह मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते ताकि लोकेशन ट्रेस न हो पाए। गिरफ्तारी के लिए कई टीम पुलिस की लगी थी।

घटनाओं की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश पर थाना स्तर पर विशेष टीम गठित की गई। सहायक पुलिस आयुक्त बिल्हौर के निर्देशन में पुलिस टीम ने ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत मकनपुर तिराहा, कस्बा मकनपुर, कस्बा बिल्हौर, नानामऊ तिराहा, चंडाली पुल और शिवराजपुर टोल प्लाजा से लेकर सचेण्डी तक करीब 170 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। इन फुटेज में बोलेरो पिकअप लोडर का नंबर ट्रेस हुआ। इसके बाद मुखबिर की पुख्ता सूचना पर दोनों आरोपियों को उनके घर के सामने से गिरफ्तार कर लिया गया।बताया कि दोनों का अपराधी के इतिहास भी है। दर्जनों मुकदमे दर्ज है।

बरामदगी और पुरस्कार

गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपियों के घर से चोरी किया गया माल बरामद किया। इस सफलता पर पुलिस उपायुक्त पश्चिम ने अनावरण करने वाली टीम को 20 हजार रुपये नकद इनाम देने की घोषणा की है। वहीं, आरोपियों को न्यायालय पेश किया। जहां से दोनों को जेल भेजा गया।

फिल्मी अंदाज़ में अपराध

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस तरह के संगठित अपराध किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं लगते। फर्क बस इतना है कि फिल्मों में हीरो अपराधियों को पकड़ता है, और इस हकीकत में पुलिस ने खलनायकों पर शिकंजा कस दिया।

किशोरी का संदिग्ध अपहरण, पुलिस ने शुरू की तलाश

आरोपी की गिरफ्तारी के लिए आसपास के गांवों में छानबीन

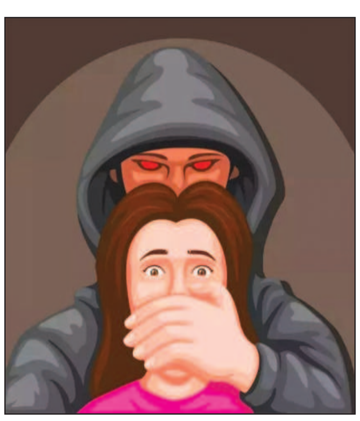

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो।

बिल्हौर (कानपुर)। कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में 13 सितंबर को एक चौंकाने वाली और संदिग्ध घटना ने पूरे गांव में दहशत फैलाकर परिवार में भारी चिंता पैदा कर दी। गांव की एक मां ने पुलिस को बताया कि उनके परिवार की 18 वर्षीय किशोरी को अज्ञात युवक ने बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने की कोशिश की।

मां ने पुलिस को तहरीर देकर अपनी बेटी की सुरक्षित वापसी की गुहार लगाई और कहा कि उन्हें बेटी की सुरक्षा को लेकर गंभीर आशंका है। परिवार के सदस्य और पड़ोसी इस घटना से गहराई तक चिंतित हैं और उन्होंने पुलिस से तत्काल और प्रभावी कार्रवाई की मांग की।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि तहरीर मिलते ही मामला दर्ज कर किशोरी की खोज और आरोपी की तलाश तुरंत शुरू कर दी गई। उन्होंने कहा कि सभी संभावित ठिकानों पर सघन छानबीन की जा रही है और आसपास के गांवों में भी लगातार पड़ताल जारी है। पुलिस ने ग्रामीणों से अपील की है कि यदि किसी को संदिग्ध व्यक्ति या किसी भी असामान्य गतिविधि की जानकारी मिले, तो तुरंत नजदीकी थाना या हेल्पलाइन नंबर पर सूचना दें।

अधिकारियों का कहना है कि गांव और आसपास के क्षेत्रों में सामूहिक प्रयास और सतर्कता से किशोरी को जल्दी सुरक्षित घर वापस लाया जा सकेगा और आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार किया जा सकेगा। इस बीच, परिवार और ग्रामीण घटना को लेकर काफी परेशान हैं और आशा कर रहे हैं कि पुलिस जल्द से जल्द कार्रवाई कर बेटी को सुरक्षित लौटाएगी।

भत्ता वसूली में कर्मचारियों की सुस्ती पर डीएम से शिकायत

तत्काल कार्रवाई की मांग, विवादित आख्या और विलंब से न्याय प्रक्रिया बाधित

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो।

बिल्हौर (कानपुर)।तहसील बिल्हौर के कर्मचारियों की सुस्ती और लापरवाही के चलते पारिवारिक न्यायालय के आदेश के बावजूद 1,72,000 रुपये का गुजारा भत्ता वसूली ठप पड़ा हुआ है। पीड़िता रूचि राठौर का आरोप है कि प्रशासनिक अमल में गंभीर कोताही और कुछ कर्मचारियों द्वारा अनुचित लाभ लेने के कारण विपक्षी नन्द किशोर बकाया राशि से अब तक अछूता रहा है। शिकायतकर्ता का कहना है कि वसूली में जानबूझकर विलंब और झूठी आख्या पेश करने से न्याय पाने की प्रक्रिया बाधित हो रही है।

शिकायती पत्र में बताया गया है कि प्रार्थिनी के वाद संख्या 341/2018 के तहत न्यायालय ने 31 मार्च 2021 को विपक्षी नन्द किशोर को 4,000 रुपये प्रतिमाह गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था। इसके बावजूद तहसील कर्मचारियों ने वसूली कार्यवाही में रुचि नहीं दिखाई। पीड़िता ने जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है। मामले में तहसील के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो संपर्क नहीं हो सका।

अश्लील गाना गाकर छात्राओं को छेड़ने वाला गिरफ्तार

बिल्हौर(कानपुर)। मिशन शक्ति फेज-5 के तहत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को दबोच लिया, जो कॉलेज के बाहर खड़ा होकर छात्राओं को परेशान करता और अश्लील गाने गाता था।

थाना अरौल की एंटी रोमियो टीम ने बरण्डा स्थित मां शीतला देवी पीजी कॉलेज के पास नारायणपुरवा निवासी यासीन पुत्र सैयद्दीन को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

थानेदार जनार्दन सिंह यादव ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सम्पादकीय

आर्थिक स्थिरता हेतु रेपो दरों में कटौती

अमेरिका के टैरिफ युद्ध से उपजी वैश्विक आर्थिक अस्थिरता के बीच केंद्रीय बैंक ने सावधानी के फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। शेयर बाजारों के ध्वस्त होने के बाद आर्थिक मंदी की आहट अमेरिका समेत पूरी दुनिया में महसूस की जा रही है। वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच केंद्रीय बैंक द्वारा हाल ही में दूसरी बार रेपो दर में 25 आधार अंक की कटौती अनिश्चितता के बीच सावधानी का ही संकेत है। केंद्रीय बैंक ने अब रेपो दर 6.25 से घटाकर 6 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है। इस साल यह दूसरी बार कटौती है। जबकि पहली कटौती पांच साल बाद की गई थी। यह कदम वैश्विक अस्थिरता के प्रति रिजर्व बैंक की चिंता को ही दर्शाता है। निश्चित रूप से आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा के नेतृत्व में मौद्रिक नीति समिति द्वारा समायोजन के साथ बदलती प्राथमिकताओं का संकेत दिया है। अब बैंक की प्राथमिकता मुद्रास्फीति के बजाय विकास को गति देना है। निर्विवाद रूप से केंद्रीय बैंक ने यह कदम ऐसे समय पर उठाया है जब संयुक्त राज्य अमेरिका से उपजे व्यापार तनाव और टैरिफ संकट के बीच आर्थिक अनिश्चितता बढ़ रही है। ये हालात घरेलू स्तर पर खपत में कमी करके मंदी की आशंका बढ़ा सकते हैं। साथ ही विकास में निजी निवेश की संभावनाओं पर भी भारी पड़ सकते हैं। इसके साथ ही केंद्रीय बैंक ने देश के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के पूर्वानुमान को संशोधित करके 6.5 फीसदी कर दिया है। जो आने वाली आर्थिक चुनौतियों के मद्देनजर पैदा होने वाली चिंताओं को ही रेखांकित करता है। निश्चित रूप से यह फैसला आवास और ऑटो ऋण ले चुके लोगों के लिये राहत भरी खबर है क्योंकि रेपो रेट घटने पर ऋण लेने वालों की ईएमआई घट सकती है। साथ ही यह कदम नये ऋण लेने वाले लोगों को भी प्रोत्साहित करेगा। इससे रियल एस्टेट सेक्टर को गति मिलने की संभावना भी बढ़ गई है।

हालांकि, उन लोगों को कुछ निराशा हो सकती है जो बैंकों में सावधि जमा राशि के जरिये जीवनयापन करते हैं। ऐसे में ब्याज दरों में गिरावट से उनका वास्तविक रिटर्न कम हो सकता है। फलतः निवेश को प्रोत्साहन देने के लिये नई रणनीति बनाने की जरूरत है। निस्संदेह, रेपो दरों में कटौती मौद्रिक अनुशासन का एक जरूरी उपकरण है, लेकिन ये अंतिम रामबाण उपचार भी नहीं है। इसके साथ ही केंद्रीय बैंक को मुद्रास्फीति के दबाव व मुद्रा अस्थिरता के प्रति भी सतर्क रहना चाहिए। जिससे महंगाई बने रहने की चिंता भी पैदा हो सकती है। जरूरी है कि केंद्रीय बैंक द्वारा रेपो दरों में की गई कटौती का लाभ बैंक यथाशीघ्र अपने ऋण लेने वाले ग्राहकों को प्रदान करें। बहरहाल, दरों की यह कटौती केंद्रीय बैंक की विकास को गति देने की मंशा को ही जाहिर करती है। लेकिन यह कदम तभी प्रभावकारी हो सकता है जब राजकोषीय उपायों और संरचनात्मक सुधारों को गति प्रदान की जाए। बहरहाल, आम आदमी के लिये यह सुखद है कि उसकी ईएमआई कम हो जाएगी। साथ ही नये लोन भी सस्ते होंगे। जिससे हाउसिंग क्षेत्र में डिमांड बढ़ेगी।

राजनीतिक हित साधने का जरिया न बने भाषा

विश्वनाथ सचदेव

किसी अफसर को राज्य-विशेष की भाषा बोलनी नहीं आती तो इसका अर्थ यह नहीं है कि उसे सरेआम थप्पड़ मार दिया जाये। भाषा के हित साधने का यह तरीका अनुचित ही नहीं, आपराधिक भी है। उचित तरीका तो यह है कि हम अपनी भाषा को इतना समृद्ध बनायें कि हर किसी को उसे सीखने, काम में लेने की इच्छा होने लगे।

महाराष्ट्र सरकार के एक अधिकारी को मराठी न बोल पाने की सज़ा भुगतनी पड़ी। मातृभाषा मराठी के प्रति अतिरिक्त लगाव वाले कुछ मराठी युवाओं ने यह सज़ा दी थी। उन्हें महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) का संरक्षण प्राप्त था। अब मनसे के नेता राज ठाकरे ने अपने अनुयायियों से कह दिया है कि महाराष्ट्र में मराठी बोलने की अनिवार्यता के लिए अभियान जारी रखने की आवश्यकता नहीं है।

लोग समझ गये हैं। लोग कितना समझे हैं, और राज्य में मराठी भाषा का उपयोग कितना बढ़ जायेगा, यह तो आने वाला कल ही बतायेगा, लेकिन यह बात तो सहज समझ में आने वाली है कि जो जहां रह रहा है, उसे क्षेत्र–विशेष की भाषा तो आनी ही चाहिए। लेकिन यहीं इस बात की समझ की भी अपेक्षा की जाती है कि हमारा संविधान रोजी–रोटी के लिए कहीं भी आने–जाने, बसने का अधिकार देश के हर नागरिक को देता है। आसेतु–हिमालय सारा भारत देश के सब नागरिकों का है, सबको कहीं भी जाकर बसने का अधिकार है। ऐसे में, क्षेत्र–विशेष की भाषा बोलने की शर्त हर नागरिक के लिए लागू करना शायद उतना व्यावहारिक नहीं होगा, जितना समझा जा रहा है। इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि कोई भाषा न बोल पाने वाला उस भाषा के प्रति अवमानना का भाव रखता है।यहीं इस बात को रेखांकित किया जाना ज़रूरी है कि अपनी भाषा के प्रति लगाव का भाव होना एक स्वाभाविक स्थिति है, अपनी भाषा के प्रति प्यार और सम्मान का भाव होना ही चाहिए, पर इसका यह अर्थ नहीं है कि हम देश की अन्य भाषाओं के प्रति अवमानना का भाव रखें। देश की सारी भाषाएं हमारी भाषाएं हैं, और हमें सब पर गर्व होना चाहिए।

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि विभिन्न भाषाओं से समृद्ध हमारे भारत में भाषा के नाम पर विवाद खड़े किये जाते हैं। इस मुद्दे पर कई बार विभिन्न राज्यों में हिंसक घटनाएं भी हो चुकी हैं। उस स्थिति का मुख्य कारण भाषा को राजनीतिक स्वार्थो की पूर्ति का माध्यम बनाना है। यह एक हकीकत है कि भाषा की इस राजनीति ने देश के अलग–अलग हिस्सों में अप्रिय स्थितियां पैदा की हैं। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बंगाल, कर्नाटक आदि राज्यों में हमने इस राजनीति के दुष्परिणाम देखे हैं। अब भी समय–समय पर इन दुष्परिणामों की चिंगारियां भड़क उठती हैं।बहरहाल, जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है भाषाई आंदोलन यहां के राजनीतिक इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। मराठी संस्कृति और भाषा की रक्षा के नाम पर, मराठी अस्मिता की दुहाई देकर राजनीतिक दलों का गठन तक हुआ है। मराठी मानुष के हितों का नाम लेकर राज्य में समय–समय पर आंदोलन होते रहे हैं। इस संदर्भ में 'मनसे' की हाल की कार्रवाई ऐसा ही एक उदाहरण प्रस्तुत करने वाली है।

हमारे देश में राज्यों का गठन भाषाई आधार पर हुआ है। ये भाषाएं हमारी कमज़ोरी नहीं, ताकत हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हमारी हर भाषा निरंतर समृद्धि की दिशा में बढ़े, बढ़ती रहे। भाषा के विकास का मतलब यही नहीं है कि उसका विस्तार कितना हो गया है अथवा उस भाषा के बोलने वालों की संख्या कितनी बढ़ गयी है। भाषा के विकास का अर्थ यह भी है कि भाषा की क्षमता कितनी बढ़ी है अर्थात नये–नये विषयों को समझने–समझाने में भाषा कितनी सक्षम हो गयी है ।

कोर्ट ने लक्ष्मण रेखा खींच दिखाई राह

कृषि में एआई और आईओटी

जय सिंह रावत

राज्यपाल का पद अगर लोकतंत्र के सहायक संरक्षक की भूमिका निभाए, तो वह उपयोगी हो सकता है, लेकिन जब वह केंद्र सरकार का राजनीतिक उपकरण बन जाता है, तब वह पद संविधान की आत्मा के विरुद्ध चला जाता है।तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि की भूमिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा 8 अप्रैल, 2025 को दिया गया निर्णय भारतीय संघीय ढांचे के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है। अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि राज्यपाल किसी विधेयक को अनिश्चितकाल तक लंबित नहीं रख सकते, उन्हें या तो मंजूरी देनी होगी, असहमति के साथ लौटाना होगा, या राष्ट्रपति के पास भेजना होगा। यह निर्णय केवल एक कानूनी निर्देश नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्यपालों के लिए एक स्पष्ट 'लक्ष्मण रेखा' खींच देने जैसा है, जिससे बाहर जाना अब संविधान की आत्मा के विरुद्ध माना जाएगा। तमिलनाडु प्रकरण और सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले ने केवल एक संवैधानिक संकट का समाधान नहीं किया, बल्कि एक बुनियादी सवाल भी खड़ा किया है। लोकतांत्रिक भारत में राज्यपाल की प्रासंगिकता।

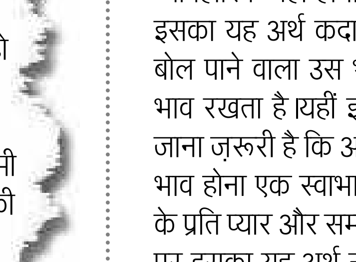

राज्यपाल का पद अगर लोकतंत्र के सहायक संरक्षक की भूमिका निभाए, तो वह उपयोगी हो सकता है, लेकिन जब वह केंद्र सरकार का राजनीतिक उपकरण बन जाता है, तब यह पद संविधान की आत्मा के विरुद्ध चला जाता है। आज का युग जन–जागरूकता और जवाबदेही का है। अब समय आ गया है कि हम यह मूल्यांकन करें कि क्या वाकई राज्यपाल का पद भारतीय संघीय ढांचे को मजबूत कर रहा है?? तमिलनाडु में राज्यपाल रवि ने राज्य सरकार द्वारा पारित 12 विधेयकों को महीनों तक रोके रखा, जिनमें से कई को बिना कारण बताए राष्ट्रपति के पास भेज दिया और कुछ को लौटाया भी। उन्होंने सदन के अभिभाषण के दौरान सरकार द्वारा तैयार भाषण को अधूरा पढ़ा और बीच में ही वॉकआउट कर दिया। ये सभी घटनाएं संविधान की भावना और राज्यों की स्वायत्तता के खिलाफ मानी गईं। सुप्रीम कोर्ट ने इन कृत्यों को 'लोकतंत्र की उपेक्षा' बताया और स्पष्ट किया कि राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह का पालन करना अनिवार्य है।यह कोई पहली घटना नहीं है जब राज्यपाल और निर्वाचित सरकार के बीच टकराव सामने आया हो। उत्तराखंड में 2016 में बहुमत परीक्षण से पहले राष्ट्रपति शासन लागू कराना, महाराष्ट्र में 2019 में तड़के सरकार बनवाना, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में असंवैधानिक हस्तक्षेप, पश्चिम बंगाल और पंजाब जैसे राज्यों में राज्यपालों द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह की उपेक्षा। इसी प्रकार, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल रहे रामलाल, जो पहले हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे, ने 1984 में एन.टी. रामाराव की निर्वाचित सरकार को हटा दिया और केंद्र के समर्थन से विपक्षी नेता को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी। इस निर्णय के खिलाफ जनांदोलन खड़ा हुआ, जिसे अंततः राष्ट्रपति को पलटना पड़ा।राज्यपाल के पद को लेकर संविधान सभा में भी गहन बहस हुई थी। डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने स्पष्ट किया था कि राज्यपाल केवल 'संवैधानिक प्रमुख' होंगे और वे अपनी व्यक्तिगत राय से नहीं, बल्कि राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेंगे। कुछ सदस्यों ने यह चिंता भी जताई थी कि राज्यपाल कहीं केंद्र सरकार का प्रतिनिधि बनकर राज्यों की स्वायत्तता को बाधित न करे। लेकिन यह माना गया कि अगर पद का उपयोग संवैधानिक मर्यादाओं के भीतर हो, तो यह संतुलन बनाए रखने में सहायक हो सकता है। संविधान निर्माताओं ने राज्यपाल को 'नामित प्रमुख' के रूप में देखा था एक ऐसा पद जो केवल सलाहकार भूमिका निभाएगा, और राज्य की चुनी हुई सरकार की सिफारिशों पर ही कार्य करेगा। परन्तु आज की स्थिति देखें।

परमट में बढ़ा विवाद: सोशल मीडिया पर छींटाकशी, पुलिस मौन

» अंशु परमट और रितेश सोनकर आमने-सामने, टीवी सौदे से लेकर कर्ज तक के आरोप

» फर्जी मुकदमों और बदनाम करने की साज़िश के दावों से गरमाया मामला

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो,

कानपुर।शहर के परमट क्षेत्र में दो गुटों के बीच चल रहा विवाद अब गंभीर स्वरूप लेता जा रहा है। सोशल मीडिया पर अश्लील कमेंट्स और भद्दे पोस्ट के जरिए दोनों पक्ष एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप कर रहे हैं। मामला इतना तूल पकड़ चुका है कि भविष्य में किसी अप्रिय घटना की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता। आशीष सिंह उर्फ अंशु परमट और रितेश सोनकर-अभिषेक कुमार पक्ष पहले ही पुलिस प्रशासन को प्रार्थना पत्र दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई है।

स्वराज इंडिया

कानपुर आसपास 07

सम्मानित युवक को सोशल मीडिया पर बदनाम करने की साजिश

» आपत्तिजनक पोस्ट से परिवार को परेशान कर रहे बदमाश

» प्रशासनिक कार्रवाई के इंतजार में पीड़ित

आरोपियों की फ़ाइल फोटो

टीवी खरीद का लेनदेन बना नया विवाद

इस बीच रितेश सोनकर ने अंशु परमट पर बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पूजा इलेक्ट्रॉनिक्स (जिसके मालिक अंशु के बड़े भाई मनीष हैं) से एमआई की एलईडी टीवी 23,200 रुपए में खरीदने का सौदा हुआ था। इसके लिए 18,000 रुपए अंशु परमट के खाते में ऑनलाइन भेजे गए, जबकि बाकी 5,200 रुपए टीवी मिलने के बाद देने की बात तय हुई थी। आरोप है कि न तो टीवी मिली और न ही पैसे वापस किए गए इस पर अंशु परमट का कहना है कि यह रकम रितेश सोनकर द्वारा चुकाया गया पुराना कर्ज थी। टीवी का सौदा कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि एमआई कंपनी की टीवी केवल ऑनलाइन बेची जाती है। उन्होंने कहा कि वर्तमान विवाद के चलते प्रार्थना पत्र में झूठे आरोप जोड़कर उन्हें बदनाम करने की कोशिश हो रही है।

फर्जी मुकदमों और निजी विवादों का भी जिक्र

विवाद यहीं नहीं थमा। रितेश सोनकर ने अंशु पर चेन स्नैचिंग का भी आरोप लगाया है। साथ ही अंशु परमट पर कई बार फर्जी एससी/एसटी एक्ट के मुकदमे लिखवाकर समझौते के नाम पर रकम वसूलने के गंभीर आरोप लगे हैं। वहीं सोशल मीडिया पर जाति भावना ग्रसित होकर गंदे गंदे कमेंट भी किए गए हैं इससे माहौल खराब बना हुआ है, कुल मिलाकर वर्चस्व का विवाद गहराता जा रहा है। अंशु ने दो एससी/एसटी के मुकदमों के लिखवाने की जानकारी स्वीकार की है, जो फिलहाल न्यायालय में विचाराधीन हैं। वहीं, बाकी अन्य मुकदमों या विवादों के आरोपों की जानकारी नहीं मिली । हालांकि रितेश सोनकर पक्ष का दावा है मोहल्ले के लोग हलफनामा में लिखकर उत्पीड़न की कहानी बताने को तैयार हैं।

वहीं, अंशु परमट का दावा है कि उन्होंने गैर-जातीय विवाह किया है इस वजह से विवाद किया जा रहा है।

उन्नाव: दो माह से टूटा बिजली का पोल बना हादसे का सबब

» विभागीय लापरवाही का बना प्रतीक

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

उन्नाव। विकासखंड सिकंदरपुर सरोसी क्षेत्र के ग्राम पंचायत रऊ करना में विद्युत विभाग की लापरवाही उपभोक्ताओं की जान पर भारी पड़ रही है। लगभग दो माह पूर्व गिरे बिजली के पोल को आज तक ठीक नहीं कराया गया। यह पोल एक मकान की छत पर टेढ़ा होकर खतरनाक स्थिति में लटका हुआ है, जो किसी भी समय बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है।

ग्रामीणों का कहना है कि छत पर लटका यह पोल आने-जाने वाले राहगीरों के लिए मौत का झूला बना हुआ है। रऊ निवासी राजेश राजपूत ने इस संबंध में कई बार विद्युत विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को सूचना दी, लेकिन समस्या के समाधान के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई।

लापरवाही से परेशान उपभोक्ताओं में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही गिरे हुए पोल को दुरुस्त नहीं किया गया तो वे आंदोलन करने को बाध्य होंगे।

सदर तहसील में पहले दिन एक करोड से अधिक की राजस्व वसूली

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। सदर तहसील ने राजस्व वसूली के विशेष वसूली अभियान में पहले दिन ही एक करोड़ रूपये से अधिक सरकारी खाते में जमा करा दिया। सदर तहसीलदार विनय द्विवेदी ने बताया कि विशेष वसूली अभियान में सभी नायब तहसीलदार, संग्रह अमीनों को लगाया है। पहले दिन एक करोड़ तेरह लाख से अधिक की वसूली की गई है।

ज्वॉइंट मजिस्ट्रेट/ एसडीएम सदर अनुभव सिंह ने कहा कि यह अभियान निरंतर जारी रहेगा तथा सभी मदों में शत-प्रतिशत वसूली सुनिश्चित की जाएगी ।

राजस्व वसूली में लगातार पिछड रहे जिले की बीते रोज डीएम ने समीक्षा की। लेटलतीफी पर डीएम ने कडी नाराजगी जताई थी। अब वसूली पर प्रशासन ने एक दफा फिर से फोकस शुरू कर दिया है। एडीएम वित्त ने सभी तहसीलों को आरसी समेत जल्द राजस्व वसूली का अल्टीमेटम दिया है। सदर तहसील के अफसर और कर्मचारी विभिन्न विभाग की आरसी लेकर फील्ड पर निकले। पहले दिन विभिन्न मदों से कुल 1,13,55,644 (एक करोड़ तेरह लाख पचपन हजार छह सौ चवालीस रुपये) की वसूली कर सरकारी खाते में जमा करायी

वसूली का विवरण (रुपये में)

स्टाम्प एवं पंजीकरण 38,10,550
बैंक - 3,93,306
परिवहन - 2,19,217
खनन - 4,37,907
लेबर एवार्ड - 86,256
पारिवारिक न्यायालय - 77,500
क्लेम वसूली - 23,54,744
कुल वसूली - 1,13,55,644

जिले में अपराधियों की जगह अब जेल या यमलोक: एसपी अभिषेक भारती

बेहतर व्यवहार व ज़ीरो टॉलरेंस पुलिस की पहली प्राथमिकता

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

औरैया/कानपुर। नवागत पुलिस अधीक्षक अभिषेक भारती ने पदभार ग्रहण करने के बाद मंगलवार को ककोर स्थित पुलिस अधीक्षक सभागार में पहली बार पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने स्पष्ट किया कि औरैया में अब अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं, उनकी मंज़िल सिर्फ जेल या यमलोक होगी।एसपी ने कहा कि अपराध व अपराधियों पर सख्ती के साथ कार्रवाई कर कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाया जाएगा। आमजन को त्वरित इंसाफ दिलाना औरैया पुलिस की पहली प्राथमिकता होगी।

उन्होंने निर्देश दिया कि फरियादियों को बार-बार थानों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। समस्याओं का निस्तारण थाने पर ही गुण-दोष के आधार पर कराया जाएगा। साथ ही महिला सुरक्षा और साइबर अपराध पर विशेष फोकस रहेगा।

अभिषेक भारती ने थाना प्रभारियों को चेतावनी दी कि महिला अपराध, खासकर नाबालिगों से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की हीलाहवाली बर्दाश्त नहीं होगी।

उन्होंने कहा कि जिले के चिह्नित माफिया सलाखों के पीछे होंगे और विचाराधीन मुकदमों में मजबूत साक्ष्य व समय से गवाही कराकर अपराधियों को सजा दिलाई जाएगी। जनता से अपील करते हुए एसपी ने कहा कि अपराध से जुड़ी किसी भी घटना की जानकारी सीधे उन्हें दी जा सकती है। सूचना देने वाले का नाम और पता गोपनीय रखा जाएगा।गौरतलब है कि 2018 बैच के आईपीएस अधिकारी अभिषेक भारती की गिनती प्रदेश के तेजतर्रार और ईमानदार अफसरों में होती है। गाजीपुर के एसपी और प्रयागराज कमिश्नरेट में डीसीपी रहते हुए उनकी शानदार पुलिसिंग की मिसालें देखने को मिली हैं।

अभिषेक भारती के कुछ पुराने महत्वपूर्ण कार्य

1. माफिया अतीक अहमद को यूपी वापस लाने की जिम्मेदारी

अभिषेक भारती को गुज़रात की साबरमती जेल से अतीक अहमद को प्रयागराज लाने का टास्क सौंपा गया था, जिसमें उन्होंने 45 सदस्यीय पुलिस दल का नेतृत्व किया।

2. गाजीपुर जिले में नशीले पदार्थों व ड्रग तस्करी के खिलाफ कार्रवाई

गाजीपुर ग्रामीण के एसपी रहते हुए उन्होंने अंतराज्यीय हेरोइन तस्करी गिरोह के सक्रिय सदस्य फ्अंकित राय उर्फ प्रवीण रायफ् के खिलाफ कार्रवाई की। तस्कर की लगभग ?80 लाख की अचल संपत्ति कुर्क की गई थी।

3. गैंगेस्टर उपेंद्र राय के खिलाफ मुकदमे व कुर्की कार्रवाई

उपेंद्र राय नामक गैंगस्टर के खिलाफ दर्ज मुकदमों के साथ उसके अवैध कब्जे की ज़मीन आदि कुर्क़ करवाई गई।

4. युवा बेरोज़गारों को धोखा देने वाले गिरोह का पर्दाफाश

प्रयागराज में 'जॉब देने' के झूठे विज्ञापनों के ज़रिए युवाओं को लुभाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया गया और दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

संगठन का अल्टीमेटम: मांगे पूरी न हुई तो तहसील में ताला

» **बाढ़ पीड़ितों के मुआवजे, अवैध कब्जे हटाने और आवास पुनर्निर्माण की उठी मांग**

» **15 दिन में कार्रवाई न होने पर अनिश्चितकालीन धरना व तहसील में ताला लगाने की चेतावनी**

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

फर्रुखाबाद।जय जवान जय किसान लोक शक्ति संगठन ने बाढ़ पीड़ितों और किसानों की समस्याओं को लेकर जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्यवान ठाकुर (अग्निवंशी) के निर्देश पर 23 सितंबर से देशभर में जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन देने की श्रृंखला शुरू हुई।

फर्रुखाबाद में जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। इसमें बाढ़ पीड़ितों को चिकित्सा सुविधा, बर्बाद फसलों का मुआवजा, अवैध कब्जे हटवाने और ध्वस्त आवासों को पुनर्निर्माण हेतु मिट्टी उपलब्ध कराने जैसी प्रमुख मांगें रखी गईं।जिला अध्यक्ष कमलेश राजपूत ने प्रशासन को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि यदि 15 दिनों में मांगे पूरी नहीं हुई तो संगठन अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन करेगा

और जरूरत पड़ी तो तहसील में ताला भी जड़ेगा। उन्होंने चेतावनी भरे अंदाज़ में कहा यह ज्ञापन आखिरी बार दे रहा हूं, अब ज्ञापन नहीं, इंकलाब होगा। ज्ञापन कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष कमलेश राजपूत ने की। इस दौरान डॉ. अजय शाक्य, प्रदेश सचिव हरिलाल सिंह राजपूत, जिला संरक्षक चंद्र सिंह जाट, जिला प्रभारी रामप्रताप सिंह गुड्डू, जिला प्रमुख विवेक पांडेय, उपाध्यक्ष मेजर श्यामपाल सिंह, तहसील सचिव रवि कुमार सहित पूरी टीम मौजूद रही।

मंडल मीडिया प्रभारी पंडित संदीप शर्मा उर्फ बाबा हनुमान दास ने साफ कहा कि संगठन को बदनाम करने या अवैध वसूली करने वालों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्यवान ठाकुर से वार्ता के बाद सक्रिय पदाधिकारियों का शीघ्र प्रमोशन और सम्मान भी किया जाएगा।

गोलियों से गूंजी रात, सड़क किनारे मिला ऑटो चालक का शव

दो खाली कारतूस बरामद, फॉरेंसिक टीम जुटा रही सबूत

पुलिस अधीक्षक ने मौके पर संभाली कमान, कई टीमें गठित

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

फर्रुखाबाद। जिले के नवाबगंज थाना क्षेत्र के नवादा पहाड़पुर मार्ग पर सोमवार रात उस समय सनसनी फैल गई जब ग्रामीणों ने गोलियों की आवाज सुनी। मौके पर पहुंची पुलिस ने एक युवक का शव बरामद किया। मृतक की पहचान ऑटो चालक पुष्पेन्द्र (26) पुत्र राजकुमार, निवासी नवादा के रूप में हुई है। शव पर गोली के निशान पाए गए हैं। पुलिस ने घटनास्थल से दो खाली कारतूस और मृतक का मोबाइल फोन कब्जे में ले लिया है।

स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि रात करीब साढ़े आठ बजे अचानक गोलियों की आवाज गूंजी। जब लोग मौके की ओर भागे तो सड़क किनारे खून से लथपथ पुष्पेन्द्र का शव पड़ा मिला। घटना की जानकारी तुरंत पुलिस को दी गई। सूचना पाते ही नवाबगंज थानाध्यक्ष पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और इलाके को घेराबंदी कर लिया।फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल की बारीकी से जांच की और सबूत इकट्ठा किए। वारदात की खबर मिलते ही मृतक के घर कोहराम मच गया। परिवार के लोग बदहवास हालत में रो-रोकर बयान देते रहे। पुष्पेन्द्र ऑटो चलाकर परिवार का भरण-पोषण करता था, अचानक हुई इस हत्या ने उनके घर की दुनिया उजाड़ दी।मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक डॉ. आरती सिंह स्वयं मौके पर पहुंचीं। उन्होंने परिजनों को सांत्वना दी और भरोसा दिलाया कि अपराधियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। एसपी ने बताया कि कई पुलिस टीमों का गठन किया गया है, तकनीकी जांच और मोबाइल डेटा की भी पड़ताल की जा रही है।पुलिस का कहना है कि हत्या की वजह अभी साफ नहीं है। संभावना जताई जा रही है कि यह वारदात किसी पुराने विवाद या लूट की नीयत से की गई होगी। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है।इस सनसनीखेज हत्या के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने अपराधियों की बढ़ती गतिविधियों पर नाराजगी जताते हुए मांग की है कि हत्यारों को जल्द गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई की जाए।

मिशन शक्ति 5.0: छात्राओं ने संभाली अधिकारियों की कुर्सी

» रसूलाबाद में एक दिन के लिए बनीं अधिशासी अधिकारी, खंड विकास अधिकारी और कोतवाल

» महिला अधिकारों व सुरक्षा पर छात्राओं ने दिखाई जागरूकता की राह

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो,

कानपुर देहात।मिशन शक्ति फेस 5 अभियान के तहत रसूलाबाद तहसील क्षेत्र में बालिकाओं को सांकेतिक रूप से प्रशासनिक जिम्मेदारी सौंपी गई। विभिन्न विभागों की कुर्सी पर बैठकर छात्राओं ने न केवल अधिकारियों की भूमिका निभाई बल्कि महिला अधिकारों और सुरक्षा से जुड़ी जानकारी भी साझा की।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के निर्देश और ब्लॉक नोडल अधिकारी अर्चना मिश्रा के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम के अंतर्गत कंपोजित विद्यालय दहेली की आलिया को रसूलाबाद नगर पंचायत की एक दिन की अधिशासी अधिकारी बनाया गया। वहीं प्राथमिक विद्यालय चीतीपुर की सानिया को खंड विकास अधिकारी की कुर्सी सौंपी गई इसके अलावा प्राथमिक विद्यालय चीतीपुर की छात्रा आयत को रसूलाबाद थाने के पिंक बूथ महिला हेल्प डेस्क की प्रभारी और कक्षा 6 की साहिबा बानो को सांकेतिक रूप से एक दिन का कोतवाल बनाया गया।नोडल अधिकारी अर्चना मिश्रा ने कहा कि मिशन शक्ति महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन पर केंद्रित एक व्यापक अभियान है, गांव-गांव और घर-घर तक महिला अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाई जा रही है। कार्यक्रम में कंपोजित विद्यालय दहेली की नीलम चंदेल, चीतीपुर की प्रधानाध्यापक पूनम चंदेल, प्रियांशी सिंह सहित कई शिक्षक उपस्थित रहे।

आदेशों की बाढ़ से चरमराई स्कूली शिक्षा

» अनियमित आदेशों से भ्रमित शिक्षक, बच्चों की पढ़ाई पर असर

» कागजी कार्यों में उलझे गुरुजन, कक्षा कक्ष से दूर हो रही शिक्षा

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

कानपुर देहात। शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के नाम पर अफसरों की ओर से आदेशों की बाढ़ ने प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था की कमर तोड़ दी है। बीएसए, डायट, डीएम, सीडीओ और सर्व शिक्षा अभियान से आने वाले तमाम आदेशों ने शिक्षकों को भ्रम और तनाव में डाल दिया है। कई आदेश मौखिक या व्हाट्सएप संदेशों के जरिए थमा दिए जाते हैं, जिनका पालन न करने पर शिक्षकों को कठोर आलोचना झेलनी पड़ती है। नतीजा यह है कि गरीब परिवारों के बच्चों की पढ़ाई के सपने धूमिल हो रहे हैं।

शिक्षक बताते हैं कि उनका अधिकतर समय कागजी कार्य और रिपोर्ट बनाने में बीत रहा है। आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुपों में मांगी जाने वाली सूचनाओं और आदेशों की अधिकता से स्कूल की दिनचर्या बुरी तरह प्रभावित हो रही है। बच्चों के साथ बिताने का समय आदेशों की पूर्ति में खप रहा है। नतीजतन बच्चों की पढ़ाई, मानसिक विकास और रचनात्मकता प्रभावित हो रही है।

शिक्षाविदों का मानना है कि शिक्षा सुधार के लिए आदेशों को व्यवस्थित करना अनिवार्य है। केवल वही आदेश जारी हों जो वास्तव में जरूरी और उपयोगी हों। आदेश लिखित रूप में समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराए जाएं ताकि शिक्षक उन्हें समझकर लागू कर सकें। तकनीकी समाधान अपनाते हुए सभी आदेश एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराए जाएं। साथ ही, शिक्षकों की राय भी आदेशों की प्रक्रिया में शामिल होनी चाहिए। तभी शिक्षा व्यवस्था अपने असली मकसद छात्रों का समग्र विकास की ओर लौट सकेगी।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक सपना देवी द्वारा हर्षिता प्रिंटर्स 127/875, साकेत नगर, कानपुर नगर- (उप्र) से मुद्रित व 119/13, दर्शनपुरवा, कानपुर नगर- 208012 (उप्र) से प्रकाशित। संपादकः अनूप कुमार **RNI No.:** UPHIN/2023/86769 | **Email:** swarajindia2023@gmail.com | **Mob:** 7800009853, | **Website:** www.swarajindianews.com | (समस्त वाद-विवाद कानपुर न्यायालय के अधीन होंगे)

पैरों के सूजन की दवा लेने गए थे हैदराबाद, लाश बनकर लौटे !

» निजी अस्पतालों में इलाज के नाम पर लूट, गरीब मरीजों की जेब पर डाका

» रंगनाथ त्रिपाठी प्रकरण ने खोली निजी अस्पतालों के व्यवस्था की पोल

» हर प्रदेश और जिलों में चल रहे ऐसे जानलेवा नर्सिंग होम

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

रीवा। मध्यप्रदेश के रीवा जिले के बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाले रंगनाथ त्रिपाठी की मौत ने निजी अस्पतालों की कथित लूट और स्वास्थ्य व्यवस्था की खामियों को उजागर कर दिया है।

जानकारी के अनुसार, पैरों में सूजन की साधारण दवा के लिए हैदराबाद के अपोलो अस्पताल गए रंगनाथ त्रिपाठी को डॉक्टरों ने अचानक भर्ती कर लिया। कुछ ही घंटों में उन्हें आईसीयू और फिर वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया गया। परिवार को आश्वासन दिया गया कि उनकी हालत गंभीर है और बेहतर इलाज किया जा रहा है। लेकिन महज चार दिन बाद अस्पताल ने परिजनों को उनकी मौत की सूचना दी।

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अस्पताल ने चार दिन के इलाज का करीब 9.50 लाख रुपये का बिल थमा दिया। त्रिपाठी का परिवार किसी तरह 3 से 4 लाख रुपये की व्यवस्था कर रहा है, लेकिन अस्पताल का रवैया अमानवीय बना हुआ है। आरोप है कि जब तक पूरा बिल नहीं चुकाया जाएगा, तब तक न तो मृतक का शव दिया जाएगा और न ही एक भी मेडिकल रिपोर्ट।

त्रिपाठी के परिजन फूट-फूटकर रो रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें यह तक नहीं बताया गया कि असल में रंगनाथ किस बीमारी से पीड़ित थे और उनकी मृत्यु कैसे हुई। इलाज से लेकर मृत्यु तक की कोई पारदर्शिता अस्पताल ने नहीं बरती।

सामाजिक कार्यकर्ताओं की नाराज़गी

सामाजिक कार्यकर्ता मनीष शुक्ला, अधिवक्ता आशुतोष मिश्रा, पार्षद अरविंद यादव आदि ने मामले पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा, ‘आज रंगनाथ त्रिपाठी का परिवार शिकार है, कल कोई और होगा।

ऐसे हजारों गरीब मरीज रोज लूट के शिकार बन रहे होंगे। चार दिन का इतना बड़ा बिल किसी गरीब मजदूर या किसान के लिए असंभव है। निजी अस्पताल अब इलाज से ज्यादा कमाई के अड्डे बन गए हैं।

रंगनाथ त्रिपाठी का मामला सिर्फ एक परिवार का दुख नहीं है, बल्कि पूरे स्वास्थ्य तंत्र की पोल खोलता है। जब तक सरकार निजी अस्पतालों की मनमानी फीस पर नियंत्रण और पारदर्शिता की सख्त व्यवस्था नहीं करेगी, तब तक गरीब मरीज इलाज के नाम पर लुटते और मरते रहेंगे।

बढ़ता व्यावसायीकरण, घटता मानवता का स्तर

यह कोई पहला मामला नहीं है। देशभर से आए दिन खबरें मिलती हैं कि निजी अस्पताल इलाज के नाम पर गरीबों की जेब काट रहे हैं। दवाओं, जांचों और कृत्रिम रूप से लंबी अवधि तक आईसीयू में रखकर लाखों रुपये वसूले जाते हैं। अक्सर परिजनों को यह कहकर डराया जाता है कि मरीज की जान खतरे में है, और मजबूरी में परिवार कर्ज़ लेकर भी भुगतान करता है।

तमाम प्रश्न उठते हैं ?

क्या निजी अस्पतालों के पास गरीबों के लिए कोई मानवीय नीति नहीं?

क्या मृतक के परिजनों से शव रोकना कानून और मानवता दोनों का उल्लंघन नहीं?

क्या सरकार ऐसे अस्पतालों पर अंकुश लगाने की ठोस व्यवस्था करेगी?

मेरठ में विधायक नंदकिशोर गुर्जर का बड़ा बयान

» विपक्ष जाति-धर्म के नाम पर राजनीति कर रहा, महापंचायत में हुई हिंसा पर पुलिस ने कार्रवाई

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

मेरठ / लोनी। हाल ही में विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने मेरठ में एडीजी भानु भास्कर से मुलाकात की, जिसमें राज्य में शांति और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की भूमिका पर विशेष विमर्श हुआ। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि ठाकुर और गुर्जर एक ही बिरादरी की शाखाएँ हैं, और यह कि कुछ विपक्षी नेता जाति-धर्म के आधार पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं।गुर्जर ने इस दौरान यह भी कहा कि इतिहास में सम्राट मिहिर भोज को लेकर जिस प्रकार जातिगत संघर्ष उजागर हुए, वह आज की राजनीति की तुलना में दिखाने वाला एक नाजुक उदाहरण है, और हमें ऐसे विभाजनकारी रुख से बचना चाहिए।

उन्होंने यह भी जानकारी दी कि पुलिस ने अब तक 22 गुर्जर नेताओं को गिरफ्तार किया है, जिनमें से कई को जेल भेजा गया है, लेकिन समुदाय का हित और कानून व्यवस्था दोनों ध्यान में रखते हुए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।उन्होंने विशेष रूप से थाना दौराला क्षेत्र में पूर्व में आयोजित एक बड़ी महापंचायत का जिक्र किया, जिसे बिना अनुमति आयोजनों के कारण परेशानियाँ हुई थीं। उन्होंने कहा कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो शांतिपूर्ण सभा को उग्र रूप देने का प्रयास करते हैं। उन्होंने बताया कि महापंचायत में पत्थर फेंकने वालों के विरुद्ध पुलिस ने सक्रिय कार्रवाई की है।विधायक गुर्जर ने यह आश्वासन भी दिया कि वे सामाजिक शान्ति और न्याय सुनिश्चित करने में पूरी तरह सक्रिय रहेंगे और अपराधियों व उकसाने वालों के खिलाफ कानून व्यवस्था का साथ देंगे।

वाहनों पर जाति लिखने वालों पर होगी कार्रवाई, बरेली रेंज में चलेगा विशेष अभियान

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

बरेली। वाहनों के नंबर प्लेट पर जातिसूचक शब्द लिखवाने वालों पर अब कार्रवाई होगी। बरेली रेंज के चारों जिले में बृहस्पतिवार से अभियान चलाया जाएगा। इस संबंध में डीआईजी ने चारों जिलों के पुलिस अफसरों को निर्देश दिए हैं।कई वाहनों या उसकी नंबर प्लेट पर जातिसूचक शब्द लिखकर या कोई चिह्न बनाकर लोग यातायात नियमों को तोड़ रहे हैं। अब ऐसा करने वाले वाहन चालकों पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद शिकंजा कसने की तैयारी शुरू हो गई है। डीआईजी बरेली रेंज अजय कुमार साहनी ने रेंज के चारों जिलों बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर और पीलीभीत में बृहस्पतिवार से अभियान चलाने का निर्देश दिया है। डीआईजी अजय कुमार साहनी ने कहा है कि किसी भी निजी और सरकारी वाहन पर जातिसूचक नाम या चिह्न नहीं दिखना चाहिए। इस बारे में चारों जिलों के पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। इसके बाद भी अगर कोई ऐसा करता है तो उस पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। जुर्माना भी लगाया जाएगा।सोशल मीडिया के जरिए भी जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। लोगों का जागरूक किया जा रहा है कि वाहनों पर जाति लिखना अपराध है। इसके अलावा थानों में लगे नोटिस बोर्ड और रिकॉर्ड में भी जाति का उल्लेख नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट के निर्देश पर प्रमुख सचिव और डीजीपी के आदेश से यह व्यवस्था लागू की गई है।

सीएम योगी पर बनी फिल्म 'अजेय' पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं

दर्शकों ने कहा कि आधी फिल्म दमदार, लेकिन बाद में निर्देशन कमजोर; प्रचार के मुकाबले असर कम

»मुख्य संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर/लखनऊ।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन पर आधारित प्रेरणादायक फिल्म अजेय का विशेष प्रदर्शन कानपुर के रेव मोती सिनेमाघर में सनातन मठ मंदिर रक्षा समिति की जिला इकाई की ओर से किया गया। समिति के पदाधिकारियों और सदस्यों ने सामूहिक रूप से फिल्म का अवलोकन किया और इसे समाज में नैतिकता व राष्ट्रप्रेम की भावना जगाने वाली करार दिया।

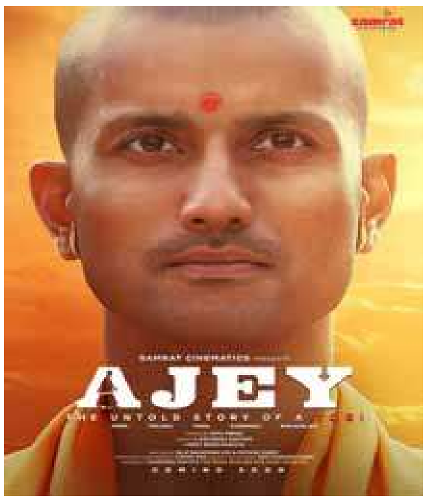

प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार द्विवेदी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ का जीवन त्याग, संघर्ष और राष्ट्रधर्म के प्रति समर्पण का अद्भुत उदाहरण है। फिल्म युवाओं और आमजन को प्रेरणा देती है और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का संदेश देती है ।फिल्म की पटकथा पहले हिस्से में मजबूत और प्रभावी नजर आती है। लेखक शांतनु गुप्ता की भाषा और शैली परदे पर साफ़ झलकती है। अनंत वी. जोशी और परेश रावल ने अपने-अपने किरदारों को जीवंत कर दिया।

हालांकि, फिल्म का दूसरा भाग कमजोर साबित हुआ। योगी आदित्यनाथ जैसे जटिल व्यक्तित्व को केवल धरना देने वाले नेताफ तक सीमित कर दिया गया। कुछ किरदार कमजोर रहे और बार-बार आने वाले अनावश्यक कैमरा शॉट्स दर्शकों को खटके। सबसे अटपटा दृश्य वह रहा जब सांसद बनने के बाद योगी को लाल बत्ती वाली गाड़ी में जिलाधिकारी कार्यालय जाते दिखाया गया—जो उनकी वीआईपी संस्कृति विरोधी छवि से मेल नहीं खाता।

वहीं कई लोगों ने कहा कि फिल्म में उतना दम नहीं है जितना इसका प्रचार किया गया था। प्रचार-प्रसार के स्तर पर उम्मीदें ऊंची थीं, लेकिन फिल्म दर्शकों पर उतना गहरा प्रभाव नहीं छोड़ पाई।

फिल्म अजेय योगी समर्थकों को जरूर आकर्षित करती है, लेकिन व्यापक दर्शक वर्ग को जोड़ने में असफल रही। यही वजह रही कि यह फिल्म बड़े पैमाने पर हिट नहीं हो सकी।

अगर आप योगी आदित्यनाथ के जीवन से प्रेरणा लेना चाहते हैं और उन्हें बुनियादी रूप में जानना चाहते हैं।

क्यों नहीं बन सकी हिट !

आधी फिल्म दमदार, लेकिन बाद में कमजोर पटकथा।
निर्देशन और संपादन में कमी।
योगी के रहस्यमय व संवेदनशील पक्ष को नहीं दिखाया गया।
प्रचार के मुकाबले फिल्म का असर कम रहा।
आम दर्शकों को बांधने वाला कंटेंट न होना।

जनता के लिए मेरे दरवाजे हमेशा खुले है,कभी भी सुना सकते है अपनी पीड़ा

अपर पुलिस आयुक्त केशव कुमार चौधरी ने पिछले दिनों चार्ज संभालते ही जनसुनवाई की व्यवस्था बदल दी है

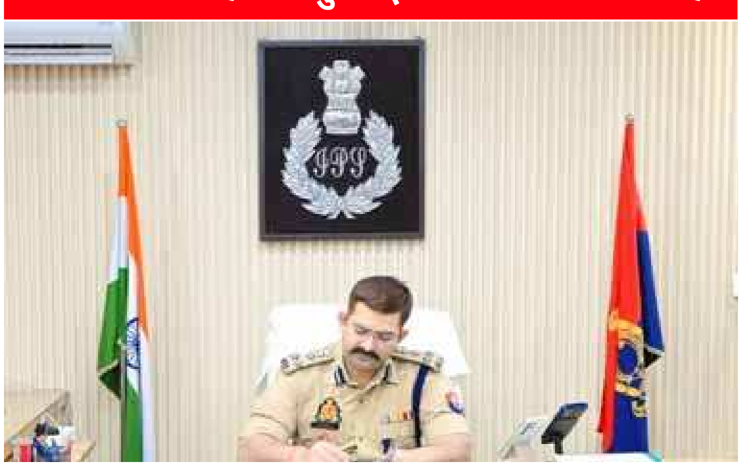

प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

गाजियाबाद। पुलिस कमिश्नरेट के जनलोकप्रिय,कर्तव्यनिष्ठ व न्यायप्रिय अपर पुलिस आयुक्त केशव कुमार चौधरी ने पिछले दिनों चार्ज संभालते ही जनसुनवाई की व्यवस्था बदल दी है।

अब फरियादी खड़े होकर नहीं,बल्कि उनके सामने कुर्सी में बैठकर और मिठाई खाकर अपनी पीड़ा बता रहे हैं।आप सभी को बताते चले अपर पुलिस आयुक्त केशव कुमार चौधरी द्वारा मंगलवार अपने कार्यालय पर प्रति दिन की तरह बैठकर जनता की शिकायत लेकर आए पीड़ित व्यक्तियों से वार्ता कर उनकी समस्याओं को बहुत ही गंभीरता से सुना गया एवं सम्बंधित को गुणवत्तापूर्वक एवं समयबद्ध निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया। अपर पुलिस आयुक्त केशव कुमार चौधरी ने बताया कि आमजन के लिए उनके दरवाजे हर समय खुले हुए है ।कोई भी फरियादी अपनी फरियाद लेकर बेवाकी से फरियाद सुना सकता है.

एससी एसटी एक्ट के 16 मुकदमे, लाखों का मुआवजा दुरुपयोग की पड़ताल

» लाखों का मुआवजा वसूले जाने के आरोप, पांच मुकदमों में पुलिस ने लगाई एफआर

»परिवार का दावा कार्रवाई नहीं, सुरक्षा भी नहीं; विपक्षियों का पलटवार फर्जी केस कराते हैं

»तीन सदस्यीय समिति ने छह घंटे की पड़ताल के बाद मांगी विस्तृत रिपोर्ट

»स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अलीगढ़। इगलास क्षेत्र के हस्तपुर गांव का एक परिवार बीते 15 वर्षों से सुर्खियों में है। परिवार पर आरोप है कि उसने 2010 से अब तक अनुसूचित जाति व जनजाति (अत्याचार निवारण) एक्ट के तहत कुल 16 मुकदमे दर्ज कराए हैं। इनमें पांच मुकदमों में पुलिस ने एफआर (फाइनल रिपोर्ट) लगाकर आरोपों को निराधार बताया है, जबकि बाकी मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं।

परिवार के सदस्य विष्णु, उसकी मां चंद्रावती और पिता चंद्रपाल का कहना है कि वे जातीय आधार पर शोषण व हमलों के शिकार हुए हैं। लेकिन विपक्षियों का आरोप है कि यह परिवार झूठे केस दर्ज कराकर मुआवजा हासिल करता है। अब तक इस परिवार को करीब 13 लाख रुपये मुआवजा दिए जाने की पुष्टि समाज कल्याण विभाग ने की है। हालांकि, आयोग की टीम के पास 46 लाख रुपये तक वसूली जाने की शिकायत भी पहुंची है।

आयोग की तीन सदस्यीय टीम की तहकीकात

राष्ट्रीय एससी आयोग ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तीन सदस्यीय टीम गठित की। डीआइजीपी सनमीत कौर, उपनिदेशक डॉ. आर. स्टालिन और कानूनी सलाहकार नीति चौधरी मंगलवार को जिले में पहुंचे ।टीम ने सबसे पहले सर्किट हाउस में डेढ़ घंटे तक बैठक की, जिसमें डीएम संजीव रंजन, एसएसपी नीरज जादौन, सीओ, तहसीलदार और समाज कल्याण विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में दर्ज मुकदमों की स्थिति, चार्जशीट, ट्रायल और मुआवजा वितरण पर विस्तार से चर्चा हुई। अधिकारियों को दस्तावेज व रिपोर्ट आयोग को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए ।इसके बाद टीम सीधे हस्तपुर गांव पहुंची, जहां उन्होंने विष्णु के परिवार से लंबी बातचीत की। परिवार ने आयोग को बताया कि उनके खिलाफ दबाव बढ़ता जा रहा है और उन्हें जान का खतरा है। टीम ने खेत पर बने कमरे और कथित घटनास्थलों का निरीक्षण किया। साथ ही ग्रामीणों और विपक्षी पक्ष के लोगों के बयान भी दर्ज किए।

विपक्षियों का पलटवार, 'फर्जी मुकदमे बनाकर वसूली' का आरोप

गांव में जब आयोग की टीम पहुंची तो प्रधान पति बबलू, श्रीकृष्ण और कई ग्रामीणों ने परिवार पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था कि विष्णु और उसका परिवार जानबूझकर एससी एक्ट का दुरुपयोग करता है, झूठे मुकदमे दर्ज कराता है और मुआवजा वसूलता है। ग्रामीणों ने टीम के सामने कहा कि गांव का माहौल बार-बार ऐसे मुकदमों के कारण बिगड़ता है और लोग झूठे आरोपों से पीड़ित होते हैं ।आयोग को यह भी बताया गया कि 2017 में तत्कालीन डीएम और एसएसपी ने अपनी संयुक्त रिपोर्ट भेजी थी जिसमें इस परिवार को एक्ट का दुरुपयोग करने वाला बताया गया था। हालांकि, आयोग ने उस समय रिपोर्ट को खारिज कर दोबारा जांच कराने का आदेश दिया था।

परिवार की पीड़ा और सुरक्षा की मांग

दूसरी ओर विष्णु ने आयोग को बताया कि हाल ही में उसके पिता चंद्रपाल सिंह पर हमला हुआ था लेकिन पुलिस ने एफआईआर में गंभीर धाराएं नहीं लगाईं। उनका आरोप है कि पुलिस लगातार कार्रवाई टाल रही है और परिवार को उचित सुरक्षा भी नहीं मिल रही ।परिवार का कहना है कि उन्हें झूठे मामलों का ठप्पा लगाकर डराया जा रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि वे लगातार जातीय शोषण का शिकार हो रहे हैं। विष्णु ने आयोग से लिखित रूप में भी सुरक्षा की मांग की ।आयोग की टीम ने करीब छह घंटे की जांच के बाद स्पष्ट कहा कि पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट तलब की जाएगी। समाज कल्याण विभाग को मुआवजा वितरण की नई जांच कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है ।सर्किट हाउस में हुई बैठक के बाद डीएम संजीव रंजन ने कहा कि आयोग ने परिवार के मुकदमों और मुआवजा मामलों की जानकारी मांगी है। वहीं एसएसपी नीरज जादौन ने बताया कि सभी मुकदमों की जांच कराकर आयोग को रिपोर्ट भेजी जाएगी।

आरटीआई में फंसा अयोध्या नगर निगम का बड़ा खेल !

» जब राजस्व विभाग कहे तालाब, विकास प्राधिकरण ने भेजा सौंदर्यीकरण का प्रस्ताव और नगर निगम कह रहा 'गड्ढा'!

» तालाब या गड्ढा, सच छुपाने के लिए अजीब तर्क दे रहे हैं अधिकारी

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अयोध्या। नगर निगम अयोध्या एक बार फिर सवालों के घेरे में है। सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत मांगी गई जानकारी में निगम ने चौंकाने वाला जवाब देते हुए अवध विश्वविद्यालय के सामने स्थित 44 बिस्से भूमि को तालाब卐 मानने से इंकार कर दिया और इसे सिर्फ गड्ढा बता दिया। निगम के इस जवाब ने न केवल सनसनी फैला दी है, बल्कि आरटीआई कानून की धज्जियां उड़ाने का भी खुला प्रमाण पेश किया है।

अब यहां सवाल यह उठता है कि जब अन्य विभाग इसे तालाब मान रहे हैं, तो नगर निगम ने इसे गड्ढा क्यों बताया?क्या यह किसी बड़े भ्रष्टाचार और धन के दुरुपयोग को छुपाने का प्रयास है?तालाब के संरक्षण पर खर्च होने वाला बजट आखिर कहां जा रहा है?सामाजिक कार्यकर्ता अभिषेक सावंत ने प्रथम अपील दाखिल कर निगम अधिकारियों पर आरटीआई

अधिनियम की धारा 20 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा नगर निगम ने आरटीआई में गलत सूचना देकर जनता को गुमराह किया है। यह तालाब नगर निगम और अयोध्या विकास प्राधिकरण दोनों का संयुक्त रूप से है। जांच होनी चाहिए कि आखिर किस दबाव में इसे 'गड्ढा' कहा गया। तालाब को गड्ढा बताकर नगर निगम ने न सिर्फ कानून से खेल किया है, बल्कि अयोध्या की धरोहर पर भी चोट की है। सवाल यही है। क्या इस फर्जीवाड़े पर दोषी अफसरों पर कार्रवाई होगी? या यह मामला भी फाइलों और बैठकों की धूल फांकता रह जाएगा?

अपने ही सवालों में उलझे अफसर...

राजस्व विभाग नक्शा प्रस्तुत कर इसे 44 बिस्से का तालाब घोषित कर चुका है

-अपर नगर आयुक्त- स्वयं पैमाइश जांच के आदेश दे चुके हैं।

-अयोध्या विकास प्राधिकरण-शासन को सौंदर्यीकरण व संरक्षण हेतु धन स्वीकृति का प्रस्ताव भेज चुका है।

इसके बावजूद नगर निगम ने आरटीआई में लिखित तौर पर यह कहा कि-यह तालाब नहीं, केवल गड्ढा है जिसमें बरसात का पानी भर जाता है।

कानून जानकारों के मुताबिक नगर निगम का रवैया सीधे-सीधे आरटीआई अधिनियम की धाराओं का उल्लंघन है। धारा 2(एफ) व 2(आई)- सही व सटीक सूचना न देना। धारा 6(1) व 7(1) समयसीमा में पूर्ण जानकारी देने की बाध्यता का उल्लंघन। धारा 18(1)(ई)- गलत सूचना देकर आवेदक को गुमराह करना।

धारा 20(1)- दोषी अधिकारी पर दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान।

बपौती समझी सरकारी जमीन, बुलडोज़र ने दिखाया हकीकत का आईना

» नोटिस की अनदेखी पड़ी भारी, प्रशासन ने जता दिया–अब नहीं चलेगी दबंगई

»कामख्या धाम की जमीन पर कब्जा, अब बना नजीर–बाकी अतिक्रमणकारियों में खौफ

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अयोध्या।रुदौली तहसील क्षेत्र के कामाख्या धाम सुनवा में दशकों से चली आ रही 'जमीन की लूट' का अंत आखिरकार बुलडोज़र की गड़गड़ाहट से हुआ। गाटा संख्या 233 और 225, जो देवस्थान और बंजर झाड़ी के खाते में दर्ज थी, पर सैमसी निवासी माता प्रसाद और महेश दत्त ने कब्जा कर रखा था। प्रशासन ने पुलिस बल और राजस्व टीम के साथ पहुंचकर कब्जा ध्वस्त कर दिया।

गौरतलब होकि रुदौली तहसील क्षेत्र में प्रशासन ने अवैध कब्जेदारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि सरकारी जमीन पर अब किसी भी कीमत पर कब्जा नहीं रहने दिया जाएगा। कामाख्या धाम सुनवा की गाटा संख्या 233 और 225, जो देवस्थान व बंजर झाड़ी के खाते में दर्ज थी, पर लंबे समय से सैमसी निवासी माता प्रसाद और महेश दत्त ने कब्जा जमा रखा था। सोमवार को राजस्व विभाग, पुलिस बल और

स्वराज इंडिया का सवाल

-क्या यह कार्रवाई पूरे जिले में फैले अतिक्रमण के खिलाफ बड़े अभियान की शुरुआत है?

-क्या वर्षों से धाम और धार्मिक स्थलों की जमीन पर कब्जा जमाए लोगों पर भी इसी तरह बुलडोज़र चलेगा?-या फिर यह महज़ एक 'नमूना कार्रवाई' बनकर रह जाएगी?

प्रशासन की यह कार्रवाई सिर्फ एक कब्जा हटाने की कवायद नहीं है, बल्कि यह ऐलान है कि 卐अब सरकारी जमीन हड़पने का खेल बंद होगा।卐 सवाल यही है कि–क्या यह रुदौली से उठी लपट पूरे अयोध्या और जिले के दूसरे हिस्सों तक फैलेगी?

नायब तहसीलदार रुदौली की संयुक्त मौजूदगी में बुलडोज़र चलाकर कब्जा ध्वस्त किया गया। कार्रवाई के दौरान मां कामाख्या धाम के अधिशासी अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे ताकि पारदर्शिता बनी रहे। प्रशासन ने बताया कि कब्जेदारों को पहले ही नगर पंचायत द्वारा नोटिस जारी कर दिया गया था और स्वेच्छा से कब्जा हटाने को कहा गया था। मगर समयसीमा समाप्त होने के बावजूद जब जमीन खाली नहीं की गई, तब प्रशासन को कठोर कदम उठाना पड़ा। जेसीबी मशीनों की गड़गड़ाहट के बीच सरकारी भूमि पर बने अवैध ढांचे मलबे में तब्दील हो गए। देखते ही देखते वर्षों से कब्जाई गई जमीन प्रशासनिक कार्रवाई से मुक्त हो गई।उपजिलाधिकारी रुदौली विकास धर दूबे ने इस कार्रवाई को 'संदेशात्मक कदम' बताते हुए कहा

किसी भी हाल में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं होगा। सभी अतिक्रमणकारी तुरंत कब्जा छोड़ दें, अन्यथा बुलडोज़र ही आखिरी विकल्प होगा।卐 प्रशासन की इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया है। आसपास के गांवों में यह चर्चा जोर पकड़ चुकी है कि अब कोई भी सरकारी जमीन को निजी संपत्ति समझकर हड़प नहीं पाएगा। ग्रामीणों का कहना है कि दशकों से धाम व अन्य सरकारी खातों की जमीनें दबंगों के कब्जे में रही हैं, लेकिन पहली बार प्रशासन ने इतनी सख्ती दिखाई है।

जीएसटी 2.0-राहत जनता को या राहत का प्रचार?

» कृषि मंत्री बोले–फायदा सबको, पर जनता को मिला या नहीं... इस पर मौन!

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या ।योगी सरकार के कृषि मंत्री एवं अयोध्या जनपद के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही बुधवार को सर्किट हाउस पहुंचे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े गर्व से ऐलान किया कि जीएसटी दरें घट गईं, अब जनता की जेब भरेगी। लेकिन जैसे ही उनसे सवाल हुआ कि 2017 में जब जीएसटी लागू हुआ था, तब से अब तक इसका फायदा आखिर किसे मिला जनता को या उद्योगपतियों को? तो मंत्री जी का जवाब था सबको फायदा मिला है। अब इसमें जनता कहां खड़ी है, यह उन्होंने बताने की ज़रूरत ही नहीं समझी।

शाही ने बताया कि जीएसटी स्लैब घटाकर 5त्र और 18त्र कर दिए गए हैं। मंत्री जी के मुताबिक, जनप्रतिनिधि बाजार में जाकर व्यापारियों से मिलेंगे और उपभोक्ताओं से संवाद करेंगे, ताकि कटौती का लाभ सीधे जनता तक पहुंचे। सवाल ये है कि जो फायदा 8 साल में जनता तक नहीं पहुंचा, वह अब अचानक कैसे पहुंच जाएगा?

उन्होंने दावा किया कि मांग बढ़ेगी, रोजगार पैदा होंगे और यूपी एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनेगा। मंत्री जी ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताया।

मंच पर उनके साथ पूर्व सांसद लल्लू सिंह, विधायक वेद गुप्ता, महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी समेत तमाम नेता मौजूद रहे और तालियां बजाकर माहौल को और ऐतिहासिक बनाने की कोशिश करते रहे। असल सवाल यही है कि जीएसटी कटौती का यह लाभ क्या सचमुच जनता की थाली तक पहुंचेगा या फिर यह भी चुनावी थाली में परोसी गई सिर्फ एक 'पॉलिटिकल डिश' है?

जीएसटी रिफॉर्म से व्यापारियों और ग्राहकों को अधिक लाभ

मुख्यमंत्री ने हजरतगंज में व्यापारियों और ग्राहकों से किया संवाद

» लखनऊ, स्वराज इंडिया ब्यूरो।

शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन से लागू हुए 'नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म' ने बाजार में नई ऊर्जा भर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बुधवार को जीएसटी रिफॉर्म को लेकर हजरतगंज बाजार में व्यापारियों और ग्राहकों से संवाद किया। उन्होंने हजरतगंज स्थित यूनिवर्सल बुकसेलर के पास आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि घटे हुए जीएसटी रेट्स से आम उपभोक्ता, व्यापारी और उद्यमी सभी वर्गों को बड़ा लाभ मिल रहा है। इस रिफॉर्म ने जहां उपभोक्ताओं को राहत दी है, वहीं बाजार की मजबूती और रोजगार सृजन का मार्ग भी प्रशस्त किया है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं के मामले में देश का सबसे बड़ा राज्य होने के कारण जीएसटी रिफॉर्म का सबसे अधिक लाभ यूपी के व्यापारियों और ग्राहकों को होगा।

लखनऊ स्थित मेदांता हॉस्पिटल में सीएम योगी ने सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात कर कुशल-क्षेम पूछा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि विद्यार्थियों के लिए नोटबुक, पेंसिल और अन्य शैक्षणिक सामग्री पर जीएसटी शून्य कर दिया गया है। इसी तरह ज्यादातर घरेलू उपयोग की आवश्यक सामग्रियों को जीरो या 5 प्रतिशत के दायरे में लाया गया है। जीवन रक्षक 33 प्रकार की दवाओं को भी पूरी तरह से जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि बाजार में खपत बढ़ने से उत्पादन में वृद्धि हुई है। इससे व्यापारी और उद्यमी दोनों को लाभ हुआ है और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुले हैं। त्योहारों के सीजन में यह बड़ा कदम उपभोक्ताओं के लिए राहत लेकर आया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता राज्य है और इस रिफॉर्म से यहां की अर्थव्यवस्था को विशेष मजबूती मिलेगी। सीएम ने बताया कि जीएसटी लागू होने के बाद देश का कलेक्शन 7 लाख करोड़ से बढ़कर 22 लाख करोड़ तक पहुंचा है, जबकि यूपी में यह 49 हजार करोड़ से बढ़कर 1.15 लाख करोड़ से ऊपर पहुंच चुका है।

महंगाई से राहत देने की दिशा में बड़ा कदमः सीएम योगी

मुख्यमंत्री ने हजरतगंज मार्केट में व्यापारियों और उपभोक्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने जीएसटी रिफॉर्म से संबंधित पंपलेट और बैनर वितरित किए। सीएम ने दुकानदारों और ग्राहकों से संवाद भी किया। सीएम योगी ने कहा कि यह रिफॉर्म भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत आवश्यक थे और देश को महंगाई से राहत देने की दिशा में बड़ा कदम साबित होंगे।

दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल याचिका खारिज

तिहाड़ से नहीं हटेंगी आतंकी भट्ट और अफजल की कब्र

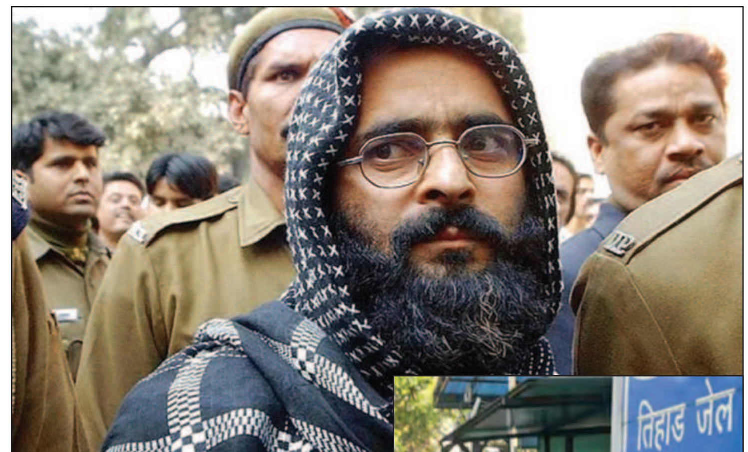

» नई दिल्ली, एजेंसी।

दिल्ली की तिहाड़ जेल से आंतकवादी मकबूल भट्ट और अफजल गुरू की कब्र हटाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने दायर याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कब्रों को हटाने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। दोनों ही आतंकवादियों को तिहाड़ जेल में ही फांसी दी गई थी। फांसी दिए जाने के बाद दोनों की कब्रें तिहाड़ जेल में ही बनाई गई थी। तब से दोनों की कब्रें तिहाड़ जेल में ही हैं।

इस मामले पर टिप्पणी करते हुए मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि किसी जनहित याचिका में राहत पाने के लिए आपको संवैधानिक अधिकारों, मौलिक अधिकारों या किसी वैधानिक अधिकार का उल्लंघन होते हुए दिखाना होगा। कोर्ट ने कहा कि जेल परिसर के अंदर दाह संस्कार या दफनाने से किसी कानून या नियम में रोक नहीं है।

बता दें कि मकबूल भट्ट और अफजल गुरू की कब्र को हटाने के लिए एक जनहित याचिका दायर की गई थी। दायर याचिका में मांग की गई थी दोनों की कब्र को तिहाड़ जेल से हटाकर किसी गुप्त स्थान पर दफ्न कर दिया जाए। यह याचिका विश्व वैदिक सनातन संघ और जितेंद्र सिंह द्वारा दायर की गई थी। याचिका में दावा किया गया था कि राज्य के नियंत्रण वाली जेल के अंदर इन कब्रों का बनना और उनका लगातार अस्तित्व में रहना अवैध और असंवैधानिक है। याचिका में यह भी कहा गया था कि यह जनहित के खिलाफ है।

बता दें कि साल 1984 में आतंकवादी मकबूल भट्ट को तिहाड़ जेल में फांसी दी गई थी। इसके 29 साल बाद अफजल गुरू को भी दिल्ली की तिहाड़ जेल में ही फांसी दी गई थी। तब से दोनों की कब्रें तिहाड़ जेल में ही हैं। इसको हटाने को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

लद्दाख में युवाओं का हिंसक आंदोलन, पत्थरबाजी के बाद भाजपा दफ्तर फूंका

पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग, पुलिस और प्रदर्शनकारियों में भिड़ंत

» लेह/लद्दाख, एजेंसी।

केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी लेह में छात्रों और युवाओं का प्रदर्शन बुधवार को तब हिंसक रूप ले लिया, जब प्रदर्शनकारियों ने भाजपा के दफ्तर पर पत्थरबाजी करने के बाद उस पर हमला बोल दिया और वहां आग लगा दी। आंदोलनकारी युवाओं को काबू में करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। इससे लोग और उग्र हो गए और पत्थरबाजी करने लगे। पुलिस कार्रवाई से भड़के प्रदर्शनकारी छात्रों ने पुलिस वैन को भी आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने उग्र छात्रों पर लाठीचार्ज भी किया है।

एक अधिकारी ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने लेह में भाजपा कार्यालय के बाहर एक सुरक्षा वाहन को आग लगा दी। उन्होंने बताया कि व्यवस्था बहाल करने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। छात्रों का यह विरोध प्रदर्शन लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने और संविधान की छठी अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग के समर्थन में है। इसी मांग को लेकर मशहूर पर्यावरणविद सोनम वांगुचक पिछले 15 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। उन्हीं के समर्थन में छात्रों का बड़ा हुजूम लेह की सड़कों पर उतर आया और केंद्र सरकार से लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग करने लगा। इसी दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों की पुलिस से भिड़ंत हो गई और देखते ही देखते प्रदर्शन हिंसक रूप अख्तियार कर लिया। प्रदर्शनकारी छात्रों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की फिर सीआरपीएफ की गाड़ियां फूंक दी। भाजपा दफ्तर को भी आग के हवाले कर दिया। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। हालात को देखते हुए अतिरिक्त बल की तैनाती की गई है।

15 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं सोनम वांगचुक

बुधवार को स्थानीय लोगों ने सोनम वांगचुक के समर्थन में लद्दाख बंद का आह्वान किया था। इसके बाद सैकड़ों लोग लेह की सड़कों पर उतर आए थे। जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और उनके कई साथी 10 सितंबर से 35 दिनों की भूख हड़ताल पर बैठे हैं। हालांकि, केंद्र सरकार ने 6 अक्टूबर को लद्दाख के प्रतिनिधियों को बातचीत के लिए बुलाया है। इसमें लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के सदस्य शामिल हैं।

लखनऊ में सपा विधायक के साले ने की आत्महत्या

फंदे से लटका मिला शव, पिता जिला पंचायत विभाग में इंजीनियर

» लखनऊ, स्वराज इंडिया ब्यूरो।

यूपी के राजधानी लखनऊ से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां सपा विधायक कावेंद्र चौधरी के साले ने फांसी के फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। उधर, सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। जानकारी के मुताबिक युवक पिछले काफी समय से अवसाद में चल रहा था। हालांकि मौके पर सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है।

ये मामला गोमतीनगर सृजन विहार कॉलोनी का है। जहां 27 वर्षीय कार्तिकेय राज वर्मा ने फांसी लगा ली। वह अंबेडकरनगर में होटल भी चलाते थे। कार्तिकेय के जीजा कावेंद्र चौधरी बस्ती से सपा विधायक हैं। इंस्पेक्टर गोमतीनगर ब्रजेश चंद्र तिवारी के मुताबिक कार्तिकेय के पिता शोभा राम वर्मा बलिया में जिला पंचायत विभाग में इंजीनियर हैं। मंगलवार देर रात कार्तिकेय ने फांसी लगा ली। बुधवार सुबह कमरे में फंदे पर कार्तिकेय को लटका देख नौकर ने शोर मचा दिया। घटना के समय शोभाराम घर पर नहीं थे। नौकर ने शोभाराम व अन्य घरवालों को सूचना दी।

आनन-फानन पड़ोसियों की मदद से कार्तिकेय को फंदे से उतारा और उसे लेकर लोहिया अस्पताल पहुंचे। जहां डॉक्टरों ने प्रारंभिक जांच के बाद कार्तिकेय को मृत घोषित कर दिया। मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। इस मामले में इंस्पेक्टर ने बताया कि परिवारीजनों से पूछताछ की गई तो उनका कहना है कि कार्तिकेय अवसाद में काफी समय से थे। इसी के चलते उन्होंने आत्महत्या की है। तफ्तीश के आधार पर जो साक्ष्य मिलेंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।